

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

क्रमांक/ 3188 - PBR-15

7

श्री आशीष पिता गुरुदीन कौशल

आयु - वयस्क, व्यवसाय - वकालत

निवासी - 63, संविद नगर, इन्दौर

- प्रार्थी

श्री राजीव सिंह
द्वारा आज दि. 20-11-15 को

विरुद्ध

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1- युसुफ पिता यासीन

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

2- अमीन पिता यासीन

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

3- इफरान पिता यासीन

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

4- सागरबी पिता हाजी दारुद

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

5- मलका बी पिता हाजी दारुद

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

6- हमीदा बी पिता हाजी दारुद

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

7- यासीन पिता हाजी दारुद

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर

R. V. Singh

6/2/21

R. V. Singh
20-11-15

R. V. Singh

R. V. Singh

- 8- इस्लाम पिता हाजी दाऊद
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
निवासी - ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर - प्रतिप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 29 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

प्रार्थी तर्फे निवेदन है कि -

1- यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर (पीठासीन अधिकारी महोदय श्री नागेन्द्रसिंह) के समक्ष एक अपील याचिका क्र. 8/अपील/10-12 विचाराधीन है, उक्त याचिका तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्र. 18/अ-27/2009-2010 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मूलतः प्रकरण के तात्विक तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय अब्बास के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1114, 1115, 1116, 1127, 1142, 1146, 1160/1, 1164/2, 1159 कुल रकबा 1.568 हेक्टेयर ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर में स्थित है, स्व. अब्बास की मृत्यु दिनांक 21.07.2007 को हो चुकी है। मूलतः प्रकरण बंटवारे से संबंधित है, प्रकरण के मूल पुरुष स्व. दौलाजी पटेल थे, दौलाजी पटेल के दो पुत्र स्व. गुलाबजी एवं स्व. इदा थे। स्व. गुलाबजी के दो वैधानिक प्रतिनिधी अब्बास एवं श्रीमती खातुनबी जो कि उनकी पुत्री थी, थे। इसी प्रकार स्व. इदा के दो वैधानिक प्रतिनिधी दाऊद एवं सत्तार थे।


2- यह कि, संदर्भित अपील याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित प्रकरण में महीनो पूर्व से कोई पेशी दिनांक नियत नहीं की गई है। अपीलार्थी स्वयं के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 3788-पीबीआर/15

जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-10-18	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 के अन्तर्गत अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण सुनवाई के लिये अंतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रकरण के साथ ऐसा कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय सुनवाई के लिये अंतरित किया जा सके । अतः यह विविध प्रकरण आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	